<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आप.प्रकरण क्र. 48 / 2014</u> संस्थित दि.: 27 / 06 / 13

राजेन्द्र गनवीर पिता संतालाल गनवरी, उम्र 35 साल, जाति महार, निवासी कंटगी पो. बिरवा थाना व तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

विरुद

विरेन्द्र कुमार पिता इशराम अगारे, उम्र 35 साल, जाति महार, निवासी वार्ड नं. 10 बस्ती रोड बैहर, पो. बैहर थाना एवं तहसील, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....आरोपी

–:<u>: निर्णय :</u>:–

<u>(आज दिनांक 08/08/2014 को घोषित किया गया)</u>

- (01) आरोपी विरेन्द्र अगारे को लिखित परक्राम्य अधिनियम की धारा 138के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध के संबंध में अभियोजित किया गया।
- (02) संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि आरोपी ने आपने वैधानिक ऋण अथवा दायित्व के आंशिक का पूर्णतः (उधार ली गई राशि का भुगतान) के उन्मोचन के लिये परिवादी को भारतीय स्टेट बैंक शाखा मलाजखण्ड का चैक कमाक 881162, दिनाक 09/04/2013 को रूपये 16,000/— का दिया था। जिसे परिवादी द्वारा वैधता अवधी के अंतर्गत पेश किए जाने पर आरोपी बैंकर द्वारा ''अपर्याप्त राशि'' (निधि) की टीप के साथ दिनांक 14/05/2013 को अनादरित कर दिया गया। जिसके पश्चात परिवादी द्वारा निर्धारित समयावधी में मांग का सूचना—पत्र प्रेषित किए जाने के पश्चात भी आरोपी के द्वारा चेक की राशि का भुगतान नहीं किया गया।
- (03) आरोपी विरेन्द्र अगारे द्वारा द.प्र.सं. की धारा 256 (बी) के अंतर्गत अभिवाक चर्चा हेतु आवेदन पेश किया गया। इस संतुष्टि के पश्चात् उक्त आवेदन के तथ्य एवं अपराध की प्रवृत्ति प्राविधत दण्ड को स्वेच्छया पूर्वक पेश किया गया। संबंधित पक्षों की बैठक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 (बी) के अनुसार दिनांक 08/08/2014 को आयोजित की गयी। संबंधित पक्षों के मध्य पारस्परिक संतोषप्रद व्ययन हेतु सहमति हो जाने के कारण इस प्रकरण का

निराकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21(अ) के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है। आयोजित की गयी। संबंधित पक्षों के मध्य पारस्परिक संतोषप्रद व्ययन हेतु सहमति हो जाने के कारण इस प्रकरण का निराकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21(अ) के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

- (04) पारस्परिक संतोषप्रद व्ययन हेतु अभिवाक चर्चा बैठक के प्रतिवेदन दिनांक 08/08/2014 के अनुसार सभी पक्षो के मध्य हुई सहमति के आधार पर आरोपी को लिखित परकाम्य अधिनियत की धारा 138 के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- (05) प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों सिहत उभयपक्ष के मध्य हुई सहमित से दृष्टिगत् रखते हुए आरोपी रामचरण को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 03 के अंतर्गत सम्यक भर्त्सना से दिण्डित किया जाता है। आरोपी को सम्यक भर्त्सना पश्चात् उन्मुक्त किया जाता है।
- (06) उपरोक्त दण्डादेश के अतिरिक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के अंतर्गत आदेशित किया जाता है कि इस प्रकरण का आरोपी, परिवादी को प्रतिकर के रूप में माह सितम्बर, 2014 से माह 18.000 रू अदा करेगा।
- (07) न्यायादृष्टांत हिरिसंह विरुद्ध सुखबीरिसंह, 1980 (40) ए.सी. सी. 0551 के आधार पर यह आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त सहमित के अनुसार दिनांक सितम्बर, 2014 से 2000 / —प्रतिमाह के हिसाब से 18,000 / —रू नौ माह की अवधी में अदा नहीं किए जाने पर आरोपी विरेन्द्र अगारे को एक वर्ष का कारावास भुगताया जायेगा।
- (08) आरोपी के पक्ष में निष्पादित पूर्व के जमानत, मुचलके भारमुक्त किए जाते है।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट